प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा पर तकनीकी निर्देशन एवं सहायता, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को सौंपने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना, दिनांक 31 मई 2011 की शर्तों के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 एवं 3 में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकाय के क्रमशः लेखे एवं वित्त के परीक्षण की टिप्पणी सम्मिलित है।

अध्याय 2 में ''सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान का क्रियान्वयन'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा, ''तीन जिला पंचायतों में पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली'' पर वृहद प्रस्तर एवं पंचायती राज संस्थाओं के अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित है। अध्याय 4 में ''कानपुर मण्डल के अर्न्तगत शहरी स्थानीय निकायों'' की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं शहरी स्थानीय निकायों के अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित है।

इस प्रतिवेदन में ऐसे प्रकरणों को निर्दिष्ट किया गया है जो कि वर्ष 2013–14 की अवधि में लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा में प्रकाश में आये साथ ही उनकों भी, जो विगत वर्षो में संज्ञान में आ गए थे किन्तु उनका वर्णन विगत प्रतिवेदनों में नही किया गया था। वर्ष 2013–14 के उत्तरवर्ती अवधि से सम्बन्धित प्रकरणें को जहां कहीं आवश्यक था, सम्मिलित किया गया है।